न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम :- श्री रामकिशोर मीना , आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
39 / 18	एफएसएस एक्ट, 2006	04 / 07 / 2018

1 वेदप्रकाश पूनिया , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर

—आवेदक

बनाम

1. रमा शंकर पुत्र स्व0 कैलाश चन्द चतुर्वेदी उम्र 37 जाति ब्राहम्ण निवासी गुर्जर मोहल्ला कल्याणजी गेट, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स चतुर्वेदी किराना स्टोर चूली गेट, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
2. श्री हरिलाल गुप्ता पुत्र केदार लाल गुप्ता निवासी बालाजी चौक के पास, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (फर्म मालिक) मैसस बंसल ट्रेडर्स व्यापार मण्डल हॉस्पिल के पास, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
3. हेम राज बंसल पुत्र लोहरमल बंसल निवासी गौशाला के पास, करौली राज0 (भागीदार) मैसर्स कैलादेवी सेल्क कोरपोरेशन अनाज मण्डी करौली राज0।
4. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हरिलाल निवासी अनाज मण्डी करौली राज0 (भागीदारी) मैसर्स कैलादेवी सेल्स कॉरपोरेशन अनाज मण्डी करौली।
5. मैसर्स कैलादेवी सेल्स कोरपोरेशन अनाज मण्डी करौली राज0।
6. राजेश चन्द (प्रोपराईटर) निवासी 103 मिसरना बडा बाजार शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद (उ0प्र0) मैसर्स पातीराम धनसुखदास जैन बडा बाजार शिकोहाबाद (उ0प्र0)
7. मैसर्स पातीराम धनसुख जैन बडा बाजार शिकोहाबाद (उ0प्र0)

—अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक:— 30.07.2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 24.10.2016 को समय 300 पी.एम. पर मैसर्स चतुर्वेदी किराना स्टोर चूली गेट गगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर राज० पहुँचा वहा पर रमा शंकर पुत्र स्व० कैलाश चन्द चतुर्वेदी उम्र 37 जाति ब्रहामण निवासी गुर्जर मोहल्ला कल्याण जी गेट गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था को मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, एवं मेरे द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन / खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन की प्रति मोके पर प्रस्तुत की। तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ देसी घी (पतिराम) 500 मिली के डिब्बे दुकान मे रखे हुए थे के मानक स्तर का नही होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो की न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:51:24 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ देसी घी (पतिराम) 500 मिली के 4 डिब्बे वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 880/- रुपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ पदार्थ देसी घी (पतिराम) 500 मिली के 4 डिब्बे को मूल ही लेकर, मेरे द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक-एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एस 1051 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता रमा शंकर पुत्र स्व० कैलाश चन्द चतुर्वेदी ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिर्पोट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नं० 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में मोहम्मद असलम कार्यालय हाजा द्वारा खाद्य विश्लेशक, कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई जो की न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/2868 दिनांक 18.11.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. 377/एफएफएसए / एक्ट /2016/191 दिनांक 09.11.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ देसी घी (पतिराम) मिसब्राण्ड मिस–ब्रांडेड (अंडर सेक्शन 3(1)(जेडएफ)(सी)(ई) फस.एक्ट 2006) पाया गया हैं। जाँच रिर्पोट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अभियुक्त ने मिसब्राण्ड (मिस–ब्रांडेड) खाद्य पदार्थ देसी घी (पतिराम) का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (आईआई) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ देसी घी (पतिराम) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 106 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (आईआई) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना द्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:51:24 IST
Reason: SelfAttested

अभियुक्तगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ देसी घी (प्रतिरूप) में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। ना ही उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड है। खाद्य ऐनालिस्ट द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में बैच नं. निर्माण दिनांक नहीं होना बताया है। जबकि उक्त रिपोर्ट में ही उक्त सभी तथ्यों का अंकन है। इस प्रकार उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड नहीं है, साथ ही अभियुक्तगण ने कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली में संलग्न खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 377/एफएसएसए / एसट /2016/[illegible] दिनांक 09.11.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ देसी घी (प्रतिरूप) मिसब्राण्ड मिस–ब्रांडेड (अंडर सेक्शन 3(1)(जेडएफ)(सी)(ई) एफ.एस.एक्ट 2006) पाया गया है यदि आवेदक उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तो रैफरेल प्रयोगशाला में जांच हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतीत होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्तगण 1 लगायत 7 को संयुक्त रूप से पचास हजार (50,000) रूपये की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि में जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 . को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:51:24 IST
Reason: SelfAttested